दूरभाष : 2713526

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33 / 18 कपिल बिहार, सहारनपुर –247001

सन्दर्भ संः /ओ0ए0नं0–494 / 2019(गुलशन) / 2019 दिनांकः .09.2019

To,

Registrar General
Public Grievance Cell
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.

Subject:-Compliance report of Hon'ble National Green Tribunal order Dated-05.08.2019 under original application no. 494/2019 Gulshan Chaudhary V/s State of Uttar Pradesh.

Sir,

The Hon'ble National Green Tribunal has passed following order Dated-05.08.2019 under original application no. 494/2019 Gulshan Chaudhary V/s State of Uttar Pradesh. **"Let the State Pollution Control Board (SPCB) and the SDM, Saharanpur look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a joint factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The nodal agency will be the SPCB for coordination and compliance.".**

In colmpliance of the Hon'ble Court order, the Joint factual and action taken report of Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board and SDM, Nakur, Saharanpur of the concern illegal sand mining by digging the river upto 25 feet on Khasra No.-1,2,3,4 & 7 Village Naimazra, District Saharanpur, Uttar Pradesh, is attached here with for your kind perusal and further direction please.

Enclosed- As above.

Your's Faithfully

(S.R. Maurya)
Regional Officer

COMPLIANCE REPORT OF HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ORDER DATED-05.08.2019 UNDER ORIGINAL APPLICATION NO. 494/2019 Gulshan Choudhary V/s State of Uttar Pradesh.

A grievances application against illegal sand mining by Tanzim Ansari, Ravikant Mittal along with Tahrir Abbas and Mir abbas, etc. by digging the river upto 25 feet on Khasra No.-1,2,3,4 & 7 Village Naimazra, District Saharanpur, Uttar Pradesh has been sent in Hon'ble NGT on behalf of the said allegations in grievances submitted by the applicant to the Hon'ble Court, the following order has been passed on Dated-05.08.2019. by Hon'ble Court.

"Let the State Pollution Control Board (SPCB) and the SDM, Saharanpur look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a joint factual and action taken report in the matter within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The nodal agency will be the SPCB for coordination and compliance.".

In the compliance of above order, the complaint site jointly inspected by SDM, Tehsil Nakur, District Saharanpur and Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Saharanpur on dated – 22nd August 2019.

In the reference of above order dated-05.08.2019 the factual report is as below.

1. The Lekhpal Mr. Qatar Singh present at the time of inspection informed that the complainant Khasra Nos. 1, 2, 3, 4, & 7 are situated in village Sarajpur Sayyed instead of Village Naimajra and at the time of inspection khasra nos. mentioned above were drowned in the river due to flood. Illegal mining on the relevant Khasra nos. could not be verified due to flood.**(Photograph Attached as annexure -1)**
2. In compliance of Hon'ble Court order, a letter was sent by this office on Dated-24.08.2019 to the District Mining Officer, Saharanpur to send the report in respect of the above mentioned illegal mining on Khasra nos. mentioned above **(Annexure -2)**
3. Regarding the above the District Mining Officer, Saharanpur has sent a report to this office vide its letter No. 1034 / B-0/2019, dated-30.08.2019. **(Annexure -3)**
4. According to the report of District Mining Officer, Saharanpur, Mining permit has been issued for removal of 32,700 cubic meters of sand deposited due to flood in 2.180 hectare private land of Khasra Nos. 2, 3, 4, 6, 7 and 107 of village-Sarajpur Sayyed, vide mining office letter No. 2536 /Khanij/ Niji Bhoomi/2018-19 on dated-16.01.2019 for a period of 03 months (from -16.01.2019 to 15.04.2019). During inspection on dated-07.04.2019 by Mine Inspector Saharanpur, it was found that 251812 cubic meters of sand has been Digged and at that time, 6888 cubic meters of sand was remained for digging. At the time of inspection on dated-07.04.2019, villagers told to mine inspector that Khasra number 214 is the cemetery land in village Naimajra Mustahkam, which has been marked by the SDM Tehsil Nakur, District Saharanpur and barricaded by bans ki balli (Dande) and at that time was found standing on the spot and Khasra number 214 village Naimajra Mustahkam was found in the form of sand dunes.

All above for your perusal and necessary action please.

(Pawan Mishra) Scientific Assistant UPPCB, Saharanpur	(S.R. Maurya) Regional Officer UPPCB, Saharanpur	(Puran Singh Rana) SDM, Nakur Saharanpur

Annexure-I

Annexure – 2

दूरभाष : 2713526

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

33 / 18 कपिल बिहार, सहारनपुर –247001

सन्दर्भ सं0: 864/आ०प्र०-ओ०ए०494/19 गुलशन चौधरी/19 दिनाँक :24 .08.2019

सेवा में,

अतिमहत्वपूर्ण / मा0एन0जी0टी0प्रकरण

जिला खनन् अधिकारी,
सहारनपुर।

विषयः–**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–494 / 2019 गुलशन चौधरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक–05.08.2019 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री गुलशन चौधरी पुत्र श्री वेद पाल ग्राम–टिकसेल, सहारनपुर द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को प्रेषित शिकायत दिनांक–22.03. 2019 के सन्दर्भ में ओ0ए0 सं0–494 / 2019 गुलशन चौधरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक–05.08. 2019 को आदेश पारित किये गये है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शिकायती स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी एवं उपजिलाधिकारी, नकुड द्वारा दिनांक–22.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय शिकायती स्थल (खसरा सं0–1,2,3,4 एवं 7) ग्राम–नाई माजरा, तहसील–नकुड, जनपद–सहारनपुर, यमुना नदी में बाढ आने के कारण जल मग्न की स्थिति में पाये गये। निरीक्षण के समय उपस्थित श्री कतर सिंह, लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित शिकायती प्रकरण पर अवैध खनन को रोके जाने हेतु प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुक्रम में शिकायत पर की गयी कार्यवाही से मा0 न्यायालय को अवगत कराया जाना आवश्यक है।

अतः मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं शिकायत की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सन्दर्भित प्रकरण पर आपके विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे की मा0 न्यायालय में कार्यवाही की आख्या ससमय दाखिल की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0आर0मौर्या)
क्षेत्रीय अधिकारी

24/8/19

Annexure-3

प्रेषक,

खान अधिकारी,
सहारनपुर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदुषण नियांन्त्रण बोर्ड
सहारनपुर।

पत्रांक 1034/ख0अनु0/2019 दिनांक 30/08/2019

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–494/2019 गुलशन चौधरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2019 के समबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 864/ओ0एन0 494/19 गुलशन चौधरी दिनांक 24.08.2019 अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं शिकायत की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सन्दर्भित प्रकरण पर आपके विभाग द्वारा की गयी कार्यावाही की आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस संबंध में अवगत करान है कि पूर्व में श्रीमति शाहनो अब्बास नवनिर्माण सेवासमिति तथा गुलाशन चौधरी के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच तत्समय कार्यालय में तैनात खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.04.2019 को किया गया था। निरीक्षण जांच आख्या दिनांक 07.04.2019 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र की अवधि दिनांक 15.04.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में समस्त क्षेत्र जलमग्न हैं। आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय
30/8/19
(आशीष कुमार)
खान अधिकारी
सहारनपुर।

निरीक्षण आख्या

श्रीमति शाहनो अब्बास पत्नी श्री हुसैन अब्बास निवासी ग्राम हलवाना हाल निवासी करनाल हरियाणा के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 22.03.2019 एवं नव निर्माण सेवा समिति गंगोह सहारनपुर के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2019 व श्री गुलशन चौधरी पुत्र श्री वेदपाल सिंह निवासी ग्राम टिकरौल तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर के शिकायती प्रार्थना पत्र के दिनांक 23.03.2019, 25.03.2019 व 31.03.2019 के अनुपालन में समस्त प्रार्थना पत्रों मे मुख्य रूप से शिकायत की गयी है कि ग्राम सराजपुर सैय्यद तहसील नकुड जिला सहारनपुर आवेदक तहरीर अब्बास, अफसर अब्बास, अजादर आदि व ठेकेदार तंजीम अंसारी निवासी लाल मस्जिद गंगोह व रविकांत मित्तल व आलोक शर्मा निवासीगण गंगोह द्वारा मुस्लिम कब्रिस्तान व सरकारी नदी व अन्य किसानों की भूमि से किये गये अवैध खनन व ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है।

प्रश्नगत क्षेत्र ग्राम सराजपुर सैय्यद का दिनांक 0704.2019 को निरीक्षण किया गया। पत्रावली अभिलेखों के अनुसार ग्राम सराजपुर सैय्यद के खसरा सं0 2, 3, 4, 6, 7, व 107 रकबा 2.180हे0 निजी भूमि में बाढ के कारण जमा 32,700घनमी0 बालू हटाने हेतु कार्यालय पत्र सं0 2536/खनिज/निजी भूमि/2018–19 दिनांक 16.01.2019 द्वारा 03 माह की अवधि हेतु (दिनांक 16.01.2019 से 15.04.2019 तक) खनन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है। दिनांक 07.04.2019 तक जांच के दौरान अभिलेख के आधार पर स्पस्ट है कि 25812 घ0मी0 बालू की निकासी की जा चुकी है। वर्तमान में निकासी हेतु 6888 घ0मी0 बालू अवशेष बचा हुआ है। दिनांक 07.04.2019 को मौके पर निरीक्षण के समय क्षेत्र में सीमा स्तम्भ नही पाये गये तथा मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि खसरा सं0 214, ग्राम नाईमाजरा मुस्तहकम में कब्रिस्तान की जमीन है, जिसको उपजिलाधिकारी नकुड द्वारा चिन्हित कराकर बांस की बल्ली (डण्डे) लगाये गये है। जो मौके पर खडे पाये गए खसरा सं0 214, ग्राम नाईमाजरा मुस्तहकम वर्तमान मे बालू के टीला के स्वरूप में है। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों से लिखित बयान लिये गये, जिनके द्वारा बताया गया कि शाहनों अब्बास नाम की कोई महिला ग्राम हलवाना में नही है। अन्य शिकायतकर्ताओं के बारे में भी ग्रामवासियों एवं प्रधानपति से पुछताछ की गयी, लेकिन ग्रामवासियों द्वारा शिकायतकर्ताओं के बारे में जानकारी होने से इन्कार किया गया **(बयान मूलरूप में संलग्न)**। निरीक्षण के समय क्षेत्र में दो पिटस् (गढढे) देखे गये, जिसमें जल भरा हुआ था।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8/07/4/19

खान निरीक्षक
सहारनपुर।

बयान

हम ग्रामवासी नाईमाजरा बयान करते है कि ग्राम में शाहनो अब्बास w/o श्री हुसैन अब्बास नाम की कोई महिला नहीं है और न ही इनके नाम से ग्राम में कोई जमीन है। ग्राम में कब्रिस्तान के खसरा संख्या 214 की निशानदेही श्री राजीव लेखपाल द्वारा चिन्हित किया गया है तथा दो बिन्दुओं पर कोन की ईंट खड़ी करायी गयी है जो मौके पर उपलब्ध है। कब्रिस्तान के खसरा संख्याओं में टीला बना हुआ है तथा कुछ हिस्से में जल भराव हुआ है। बयान पढ़कर एवं तस्दीक कर हस्ताक्षर किये

1- मो० रजा S/o कमर अब्बास R/o ग्राम नाईमाजरा Mohd Raza

2- तनसीर अब्बास S/o मंजर हुसैन R/o " [illegible] Abbas

3- तनवीर हुसैन S/o शब्बीर हुसैन R/o " तनवीर हुसैन 90451708

4- मोहिब हुसैन S/o साकिब रजा R/o " 9720663217 मोहिब हुसैन

खसरा संख्या 214 ग्राम नाईमाजरा मुस्तहकम के अन्तर्गत स्थित है तथा उक्त बयान से सहमत हूँ।

ग्राम प्रधान पति तासीर हुसैन 9752338122

[illegible]

बयान

मैं हसन अख्तर S/O श्री शमशाद हुसैन R/O ग्राम हलवाना तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर [illegible] दिनांक 07/04/2019 को बयान करता हूं कि ग्राम हलवाना में शाहना अख्तर W/O श्री हुसैन अख्तर नाम की कोई महिला ग्राम में नहीं है। यह भी बयान करता हूं कि ग्राम नाईमाजरा व सराकपुर सैयद व हलवाना में उनकी कोई भूमि/खेती की भूमि नहीं है।

हसन अख्तर
9761336532